

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1696 / 2013

जिला : झुन्झनू

उनवान : मै0 पंचवटी स्टोन क्रेशर, झुन्झनू बनाम एसीटीओ, वार्ड प्रथम, झुन्झनू।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.03.2015	<p style="text-align: center;"><u>खण्डपीठ कैम्प जयपुर</u> <u>श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष</u> <u>श्री सुनील शर्मा, सदस्य</u></p> <p>अपीलार्थी/वकील प्रार्थी श्री मुजफ्फर ईकबाल एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री एन.के.बैद उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी/श्री मुजफ्फर ईकबाल ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम, वर्ष 2015 दिनांक 09.02.2015 का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत अपील को विद्वज्ञा करना चाहते हैं। इस बाबत अपीलार्थी/ श्री मुजफ्फर ईकबाल ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभागीय प्रतिनिधि ने इस पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।</p> <p>अतः अपीलार्थी/श्री मुजफ्फर ईकबाल एडवोकेट का अपील को विद्वज्ञा करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील जरिये विद्वज्ञा खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> <p>सदस्य</p> <p>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2-</p> <p>अध्यक्ष</p> <p>राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।</p> </div> </div>	